



संदर्भ संख्या: 3/SSI/0148

28 अप्रैल 2020

आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य,
माननीय उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

विषय : कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपदा से राहत हेतु सरकारी विभागों अथवा उपक्रमों द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिमिटेड भुगतान अविलम्ब जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड -19 महामारी से उत्पन्न आपदा के कारण प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में तरलता (धन) का बहुत अधिक आभाव हो गया है। यहाँ तक की उद्यमी चाहकर भी अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने में असमर्थ है।

आपको ज्ञात ही है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से सरकारी विभाग अथवा उपक्रम भारी मात्रा में सामग्री का क्रय करते हैं। सरकारी विभाग / उपक्रम आमतौर पर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से क्रय किये गये सामान का भुगतान देरी से करते हैं जिसके कारण सामान्य परिस्थितियों में भी इन छोटो उद्योगों में तरलता (धन) का आभाव हो जाता है। आज कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में इन छोटे उद्योगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय एवं असहनीय हो गयी है।

उत्तर प्रदेश के बहुत से सरकारी विभाग अथवा सरकार के अधीन उपक्रम ऐसे हैं जिनके पास प्रदेश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भारी मात्रा में पेमेन्ट लिमिट है इन विभागों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिंग इत्यादि प्रमुख हैं।

यदि सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के भुगतान इस कठिन समय में जारी कर दिये जाते हैं तो इन छोटे उद्योगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी।

उपरोक्त के संदर्भ में हाल ही में आई0आई0ए0 की प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विडियो कॉनफ्रेंसिंग में भी वार्ता हुई थी जिसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा आई0आई0ए0 सदस्यों के लिमिट भुगतानों का व्यौरा माँगा गया था। आई0आई0ए0 ने प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 को आज तक 100 उद्योगों का व्यौरा उपलब्ध करा दिया है जिनका विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से लगभग 300 करोड़ रुपये का भुगतान लिमिट है। आई0आई0ए0 की इस सूची पर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्यवाही हो रही है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि आई0आई0ए0 द्वारा प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 को दी गयी सूची केवल आई0आई0ए0 सदस्यों से प्राप्त व्यौरे के अनुसार ही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य हजारों छोटे उद्योग और भी होंगे जिनका भुगतान सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में लिमिट होगा।



इसे ध्यान में रखते हुये हमारा आपसे अनुरोध है कि आपके अथवा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रदेश के सभी विभागों/उपक्रमों से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पूर्ण लम्बित भुगतानों का व्यौरा उत्तर प्रदेश सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये जाये। उत्तर प्रदेश सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में एक डेडीकेटेड सेल गठित कर इन भुगतानों को शीघ्र जारी करने की मोनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। यह भी निवेदन है कि सरकारी विभागों/उपक्रमों से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लम्बित भुगतान को आगामी 15 दिनों में जारी करवाने की कृपा करें जिससे इन छोटे उद्यमियों को इस कठिन परिस्थिति में बहुत राहत मिलेगी।

आशा है आप हमारे उपरोक्त निवेदन को स्वीकार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष